

Filling no. RCS-A/472/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 124 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/472/2017

CNR no. MP30010042382017

सिविल वाद क्रमांक 124 ए/2017

संस्थित दिनांक :-31/07/2017

मनीराम दौहरे पुत्र पचोले, उम्र-69 वर्ष,
निवासी-चतुर्वेदी नगर, गली नं0-2,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी

//बनाम//

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
2. एस0डी0ओ0 भिण्ड (म0प्र0)
3. सरपंच ग्राम पंचायत चरथर,
तहसील व जिला-भिण्ड (म0प्र0)
4. सेक्रेट्री ग्राम पंचायत चरथर,
तहसील व जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री अटल बिहारी टांक।
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री जे0पी0 दीक्षित अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा श्री देवेन्द्र नरवरिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 4 पूर्व से एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक **23.03.2018** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 2/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में ग्राम चरथर, तहसील व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1205/1 (पुराना सर्वे क्रं0 1464) क्षेत्र 0.24 हे0, सर्वे क्रमांक 1207 (पुराना सर्वे क्रं0 1462) क्षेत्र 0.34 हे0 व सर्वे क्रमांक 1209 (पुराना सर्वे क्रं0 1443) क्षेत्र 0.24 हे0 (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमियाँ" से निर्दिष्ट) पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियों पर वादी का स्वत्व व कब्जा है, राजस्व अभिलेखों में भी भूमिस्वामी के रूप में वादी का नाम दर्ज है और विवादित भूमियों से होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा बल्कि विवादित भूमियों के पूरब दिशा की ओर स्थित रास्ते का उपयोग सदारीपुरा से ग्राम चरथर के रास्ते के रूप में किया जाता है। वर्ष 2010 में प्रतिवादीगण विवादित भूमियों पर सड़क निर्माण करना चाहते थे, तब वादी ने सिविल वाद क्रमांक 34 ए/10 प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 से वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गयी थी और प्रतिवादीगण को सड़क निर्माण करने से निषेधित किया गया था जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गयी। न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के बावजूद प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.09.2013 को विवादित भूमियों में से सर्वे क्रमांक 1462 व 1464 पर जबरन सड़क डाल दी और अब सर्वे क्रमांक 1443 पर सड़क डाली जा रही है। प्रतिवादीगण द्वारा जबरन वादी के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों पर सड़क डाले जाने से वादी का पूरा खेत बर्बाद हो रहा है, दिनांक 30.06.2017 को प्रतिवादीगण ने सर्वे क्रमांक 1443 पर जबरन रोड बनाने का प्रयास किया और वादी के द्वारा मना करने पर धमकी दी गयी। न्यायालय के निर्णय व डिक्री की लगातार अवहेलना की जा रही है, वादी ने उक्त तथ्यों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" दिनांक 12.07.2017 में करवाया तब पत्रकार के पूछने पर एस0डी0एम0 ने बताया कि सदारीपुरा में जिन लोगों की जमीन पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है उन सभी ने लिखित में अपनी सहमति दी थी। वादी ने कभी भी अपनी भूमि पर सड़क बनाने के लिए सहमति नहीं दी, प्रतिवादीगण न्यायालय के आदेश के बावजूद जबरन सड़क निर्माण कर रहे हैं और उक्त तथ्यों के आधार पर सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है और वाद के लम्बन के दौरान सड़क निर्माण हो जाने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमियों पर सड़क का निर्माण न करें, रोड को पक्का न करें और मौके पर यथास्थिति बनाये रखें।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, लिखित कथन में यह अभिवचन है कि विवादित भूमियाँ वादी के स्वत्व की हैं परन्तु उन पर 30 वर्षों से प्रचलित रास्ता है। ग्राम सदारीपुरा के लोगों द्वारा रूढ़िगत मार्ग के रूप में रास्ते का प्रयोग किया जाता रहा है और स्वयं वादी ने दिनांक 18.07.2016 को सड़क निर्माण पर लिखित सहमति दी है। विवादित भूमियों पर पूर्व में ही सड़क बनी थी, जिस पर केवल मिट्टी डालने का कार्य किया गया है और वादी ने झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर वाद संस्थित किया है। विवादित भूमियों पर स्थित रास्ते का उपयोग रूढ़िगत मार्ग के रूप में किया जाता रहा है, इसी आधार पर धारा 131 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अनुसार तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है

और नक्शे में आम रास्ता चिह्नित किया गया है। वादी के पक्ष में कोई मामला न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. प्रतिवादी क्रमांक 3 का जबाब संक्षेप में यह है कि शासकीय रास्ते पर ही सड़क बनायी जा रही है, वादी ने कोई सीमांकन नहीं कराया है और वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं होने से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

—: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

7. वादी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि वादी ने कभी भी सड़क निकालने के लिए शासन के पक्ष में सहमति नहीं दी है और न्यायालय की डिक्री के बावजूद बिना वादी को सूचना दिये नक्शे में लाल रंग से निशान बना लिया गया है।

8. इस मामले में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में वादी ने भूमि सर्वे क्रमांक 1205/1, 1207 व 1209 पर प्रतिवादीगण द्वारा सड़क निर्माण के विरुद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। उक्त विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1205/1, 1207 व 1209 के पुराने सर्वे क्रमांक क्रमशः 1464, 1462 व 1443 थे और सिविल वाद क्रमांक 34 ए/10 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 से तत्कालीन सरपंच, सचिव व म0प्र0 राज्य के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है कि सर्वे क्रमांक 1462, 1464 व 1443 पर सड़क निर्माण न करें।

9. वादी के विद्वान अधिवक्ता का बलपूर्वक तर्क है कि इस सिविल वाद में यह आज्ञापक व्यादेश भी माँगा गया है कि जो रोड बनायी जा चुकी है उसे हटाया जाये और यह सिविल वाद रेस ज्यूडिकेटा से बाधित नहीं है। यह सही है कि पूर्ववर्ती सिविल वाद क्रमांक 34 ए/10 में केवल स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था, रेस ज्यूडिकेटा के बिन्दु पर निष्कर्ष साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर ही दिया जा सकता है और इस प्रक्रम पर रेस ज्यूडिकेटा पर कोई निष्कर्ष समीचीन नहीं है।

10. वादपत्र के अभिवचन के अनुसार ही सर्वे क्रमांक 1462 व 1464 पर दिनांक 16.09.2013 को जबरन सड़क डाल दी गयी है। मौके पर बनायी जा चुकी सड़क को हटाने के संबंध में आज्ञापक व्यादेश का न्यायनिर्णयन अंतिम निर्णय के समय ही किया जा सकता है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 2/17 में आज्ञापक व्यादेश के संबंध में कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। इस प्रक्रम पर अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में केवल यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादीगण विवादित भूमियों पर सड़क न डालें, सड़क को पक्का न करें और मौके पर यथास्थिति बनाये रखें।

11. प्रतिवादीगण की ओर से बलपूर्वक तर्क किया गया है कि सड़क निर्माण के संबंध में स्वयं वादी ने लिखित सहमति दी थी। इसके विपरीत वादी का पक्ष यह है कि उसने कोई सहमति नहीं दी और इस संबंध में वादी ने शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। वादी ने सहमति दी है या नहीं, यह साक्ष्य का विषय है और गुण-दोष पर अंतिम न्यायनिर्णयन साक्ष्य के उपरांत ही दिया जा सकता है।

12. सिविल वाद क्रमांक 34 ए/10 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 (न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2) से वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है और यह डिक्री पारित की गयी है कि "ग्राम चरथर जिला भिण्ड स्थित भूमि क्रमांक 1462 रकबा 0.345, आराजी क्रमांक 1464 रकबा 0.523, आराजी क्रमांक 1468 रकबा 0.345, आराजी क्रमांक 1470 रकबा 0.136, आराजी क्रमांक 1471 रकबा 0.136 में से हिस्सा 1/2 रकबा 0.588 आरे 02 बीघा 16 बिस्वा एवं भूमि क्रमांक 1443 रकबा 0.240 हे0 पर प्रतिवादीगण को सड़क निर्माण करने से निषेधित किया जाता है।" उक्त डिक्री से यह स्पष्ट है कि इस मामले में विवादित भूमियों पर सड़क निर्माण के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जा चुकी है और अब इस प्रक्रम पर वादी के पक्ष में पुनः अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री का कोई औचित्य नहीं है।

13. वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादीगण न्यायालय की एकपक्षीय डिक्री दिनांक 25.03.2011 को मान नहीं रहे हैं इसलिए यह सिविल वाद संस्थित किया गया है। यह स्थापित विधि है कि एकपक्षीय डिक्री जब तक अपास्त न कर दी जाये, डिक्री के रूप में प्रवर्तनशील है और विधि अनुसार डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। भूमि सर्वे क्रमांक 1462, 1464 व 1443 पर सड़क निर्माण करने से प्रतिवादीगण को सिविल वाद क्रमांक 34 ए/10 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 से स्थायी रूप से निषेधित किया गया है, ऐसी दशा में उक्त भूमियों के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई आधार नहीं है।

14. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों का निष्कर्ष यह है कि इस मामले में

विवादित भूमियों पर सड़क निर्माण के संबंध में सिविल वाद क्रमांक 34 ए/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 से प्रतिवादीगण को विवादित भूमियों पर सड़क निर्माण करने से स्थायी रूप से निषेधित किया गया है।

15. एक ही विषयवस्तु पर उन्हीं पक्षकारों के बीच एक बार स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के बाद पुनः उसी विषयवस्तु पर दूसरे सिविल वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदत्त किया जाना समीचीन व न्यायसंगत नहीं है। ऐसी दशा में अब अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई आधार नहीं है और गुण-दोष पर विचार किये बिना वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 2/17 खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)